Re-uploaded on Lsg website 01/8/2017

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः एस्टे/एम/एफ.10( )/आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/9139 दिनांक 01/08/17

आदेश

विभागीय आदेश कमांकः एस्टे/एम/एफ.10/( )आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/863–88 दिनांक 20.07.2017 द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी)/(अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा के सहायक/कनिष्ठ अभियन्तागण के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये गए थे। किन्तु उक्त आदेशों की पालना में संबंधित नगर निकायों द्वारा स्थानान्तरणाधीन अभियन्तागण को आज दिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त नहीं किया गया है, जो राजकीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। जिससे तकनीकी अधिकारियों के अभाव में संबंधित नगर निकायों के निर्माण/विकास कार्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं तथा कार्य प्रगति अवरूद्ध हो रही है।

अतः निर्देशानुसार पालना में विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार जारी विभागीय स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश दिनांक 20.07.2017 व इससे पूर्व तथा पश्चात् जारी आदेशों द्वारा स्थानान्तरित अभियन्तागण को नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर पालना से विभाग को अविलम्ब अवगत कराया जावे।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांकःएस्टे/एम/एफ.10( )/आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/9140-9212 दिनांकः 01/08/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन एवं नग.वि. विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. उप निदेशक (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, ... को भेजकर लेख है उक्तानुसार राज्यादेशों की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, ...।
5. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका.... ....को तत्काल पालनार्थ।
6. श्री .... सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता....................................को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा नवपदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाना राज्यादेशों का स्पष्ट उल्लंघन है व अनुशासनहीनता का द्योतक है। अतः तत्काल कार्यमुक्त होकर नवपदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देवें।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक